अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 341/2013

अशोक कुमार सिंह एवं अन्य –– अपीलार्थीगण

बनाम

सियाराम राय –– रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्तागण के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर के आदेश दिनांक 26.02.2013 ई० भूमि विवाद वाद संख्या 23/2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता को बहस के दौरान सुना। अभिलेख का अवलोकन किया ।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते हैं कि संदर्भ वाद में मौजा: सरौजा, थाना एवं अंचल सिमरीबख्तियारपुर जिला– सहरसा के पूराना खाता सख्या 11 पूराना खेसरा संख्या 2459 रकबा 1 बीघा 11 कट्ठा 17 डीसमल एवं पूराना खाता संख्या 139 पूराना खेसरा संख्या 2457 रकबा 10 कट्ठा 06 डीसमल भूमि विवाद का मूल विषय प्रश्नगत विवादी भूमि है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में यह भी कथन करते है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत कारी मंडल पिता गंगा मंडल, हिताय गोप एवं कारी गोप एवं छब्बू गोप सभी पिता ढुसरी गोप से वर्ष 1911 में निबंधित केवाला दस्तावेज के माध्यम से अपीलार्थी के पूर्वज तारणी प्रसाद के द्वारा अर्जित है और पूराना खाता संख्या 137 पूराना खेसरा संख्या 2457 रकबा 10 कट्ठा 6 डीसमल के अलावे अन्य भूमि भूतपूर्व जमींदार से 1324 फसली में बन्दोबस्ती के द्वारा अर्जित है एवं लगातार दखलकार चले आ रहे हैं।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में यह भी कथन करते है कि बिहार सिरिस्ता में जमाबंदी भूतपूर्व जमींदार मालिक के नाम से कायम थी एवं भूतपूर्व जमींदार द्वारा रिभैलुएशन रिटर्न दाखिल किया गया तथा अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से भेस्टिंग रिटर्न दाखिल किया गया वो भेस्टिंग रिटर्न के अनुसार प्रश्नगत भूमि के साथ साथ अन्य भूमि का जमाबंदी राधाबल्लभ सिंह के नाम से चल रही है तथा अपीलार्थीगण लगातार

दखलकार चले आ रहे हैं।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि नाट फाईनल सर्वे की प्रविष्टियों के आधार पर रेस्पोण्डेन्ट द्वारा विवाद उत्पन्न किया गया अतएव वाद लाया गया। आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट निम्नन्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बहस दिए जिसमें यह कहा गया है कि बिहार सरकार से बन्दोबस्ती का परवाना निर्गत है वो बिहार सरकार के नाम से खतियान नाट फाईनल है अतएवं यह वाद लाये है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादित भूमि रैयती भूमि है जिसकी जमाबन्दी चल रही है। अंचल अधिकारी खतियान नाट फाईनल के आधार पर भूमि को बन्दोबस्त कर दिये है इसलिए बन्दोबस्ती का आदेश अवैध है।

अपीलार्थी विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी दखलकार है तथा रेस्पोण्डेन्ट द्वारा पूर्व में ही यह कहा जा चुका है कि विवादित भूमि से उनका कोई सरोकार नहीं है तथा अपीलार्थी के साथ मौखिक रूप से समझौता कर लिया गया है वो समझौता संबंधी आवेदन मेमो ऑफ अपील के साथ संलग्न है।

निम्नन्यायालय के आदेश में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी सिमरीबख्तियारपुर के द्वारा स्थलीय जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 1174–2 दिनांक 24.09.12 से प्राप्त प्रतिवेदन में पुराना खाता 139 के खतियान की अनुपलब्धता बतलाते हुए प्रतिवेदित किये है कि प्रश्नगत पुराना खाता 139 के अन्दर पुराना खेसरा 2457 से निर्मित नया खेसरा 3379 से रकबा 1 एकड़ 30 डी0 भूमि बन्दोबस्त पर्चा सियाराम राम पिता नेवत राम सा0 सरौजा थाना बख्तियारपुर जिला सहरसा के नाम बन्दोबस्ती वाद संख्या 161 /82–83

5

प्रश्नगत विवादी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 दखल कब्जा होना प्रतिवेदित किये है।

निम्न न्यायालय के आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि संदर्भ मौजा सरौजा चकबन्दी प्रकिया अन्तर्गत परिवर्तणीय स्वरूप में है तथा पुराना खाता 139 के संदर्भ में किसी भी पक्षकार के द्वारा साविक खतियान प्रस्तुत नहीं करने तथा वादीगण की ओर से कागजी साक्ष्यों की अपठणीय छाया प्रति दाखिल करने से प्रश्नगत भूमि के रैयती भूमि होने का औचित्य नहीं दिखता है। अंचल अधिकारी द्वारा भी साविक खतियान उपलब्ध नहीं होना प्रतिवेदन में बताये हैं । वर्तमान इन्द्राज जो एक परिवर्तणीय खतियान है अनाबाद बिहार सरकार के नाम होने तथा ऐसे भूमि का प्रावधानों के अनुकूल बासगीत परवाना निर्गत करना विधिजन्य एवं परिस्थितिजन्य परिलक्षित होता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना, अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया एवं पाया कि अपीलार्थी द्वारा स्पष्टरूप से विपक्षी द्वारा समझौता कर लेने की बात कही गई है। वास्तव में निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि को गैरमजरूआ आम भूमि बतलाया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल सहरसा